

(9)

भारत में सार्वजनिक ऋण के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें।

Discuss the different kinds of sources of Public debt in India.

ऋण सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत है यह आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। Dalton ने कहा है कि "One method by which a public authority may obtain income is by borrowing."

अर्थात् सार्वजनिक अधिकारियों की आय का साधन सार्वजनिक ऋण में है यही कारण है कि वर्तमान समय में सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों से ऋण प्राप्त करती है।


प्रो० Bestable ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि "जिस प्रकार एक व्यक्ति हमेशा अपने ऋण की सहायता से अपना काम नहीं चला सकता है उसी प्रकार सरकार हमेशा इसी साधनों से काम नहीं चला सकती है।"

Adam Smith ने भी यहाँ तक कहा था कि "सार्वजनिक ऋण से व्यय को व्यय, व्यय के युद्ध, और घुरी आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।" परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात को घुरा नहीं मानते हैं उनका विचार है कि सार्वजनिक ऋण का उपयोग यदि उत्पादक कार्यों के लिए किया जाए तो अच्छी बात है।

वर्तमान शताब्दी में आरम्भ में प्रथम विश्वयुद्ध के आद्य-याद्य सार्वजनिक ऋण का पूर्ण विकास हुआ भव शायद ही कोई ऐसा देश है जो ऋण न लेता है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी एवर्चों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से भी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है।

सार्वजनिक ऋण के मुख्य दो स्रोत हैं।

- (i) आंतरिक ऋण (Internal debt)
- (ii) बाह्य ऋण (External debt)



आंतरिक ऋण के चार मुख्य स्रोत हैं जो निम्नलिखित हैं।

(a) बैंकिंग निकायों तथा जनता से प्राप्त ऋण (Borrowing from non banking institutions and general public)

इस तरह का ऋण बैंकिंग संस्थाएँ और जनता द्वारा अपनी जमा अथवा बचत राशि से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर इस तरह का ऋण सरकार बॉण्ड की बिक्री के द्वारा प्राप्त करती है। ये बॉण्ड निश्चित समय के लिए एक विशेष व्याज दर पर बचे जाते हैं और बॉण्ड के क्रय करने वाले व्याज की दर के आधार पर स्वच्छता से ग्रहण करते हैं। यदि सरकारी बॉण्ड की योजना आकर्षित करने वाली होगी तब आम जनता तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिक विनियोग करेंगे। आमतौर पर इस तरह के बॉण्ड में व्याज के अतिरिक्त करमुक्ति (Tax Free) आयों की सुविधाएँ दी जाती हैं।

(b) Banking संस्थाओं से प्राप्त ऋण (Borrowing from bank):

मंदी के समय विनियोग में कमी हो जाती है फलस्वरूप बैंकों के पास निष्क्रिय जमा के भंडार में वृद्धि हो जाती है इसलिए सरकार ऋण के रूप में प्राप्त इस भंडार का प्रयोग रोजगार सृजन के लिए कर सकती है इस प्रकार के ऋण से बैंक एवं सरकार दोनों को लाभ होता है। ऋण के द्वारा सार्वजनिक व्यय बढ़ने से वित्तीय प्रवाह में वृद्धि होती है जिससे राष्ट्रीय आय अनुकूल रूप से प्रभावित होती है लेकिन यदि इन संस्थाओं से बहुत अधिक मात्रा में ऋण ले लिया जाए तब निजी क्षेत्र को ऋण पूर्ति में कमी हो जाएगी और सामान्य व्यावसायिक क्रियाएँ शिथिल हो जाएगी। दूसरी ओर स्थिति के समय इस तरह के Bond के पूर्ण अंशों के द्वारा व्यावसायिक बैंक शारद का प्रसार करती है जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है।

(c) राजकोष से निकासी (Withdrawal from Treasury):

सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार अपने जमा वित्तीय अवशेषों को राजकोष से निकाल सकती है साधारण तौर पर प्रतिदिन के वित्तीय उचितविविधियों से कुछ धन व्यय जाता है जिससे सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है- सरकार आवश्यकतानुसार इस तरह की अवशेष की निकासी द्वारा अपने अवशेष को पूरा करती है।

(d) केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा निर्गमन (Issue of notes by central bank):

जब अन्य स्रोतों से सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता तो इसी स्थिति में सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है।

इस अवस्था में मुद्रा के मांग के अनुरूप उन्नीय वी नए नोट जारी करता है। धाँसे का कित्त व्यवस्था का यह एक स्वमान्य तरीका है। ये नोट वास्तव में ऐसा दायित्व है जिस पर सरकार का क्याज नहीं देना पड़ता है। नए नोट जारी करने से मुद्रा का वित्तीय प्रवाह बढ़ जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में निम्न क्याज दर पर विनियोग का बढ़ावा मिलता है। मंदीकाल में सर्बजनिक स्वास्थ्य त्ठण

आंतरिक स्त्रोतों के साथ-साथ वाह्य स्त्रोतों से भी त्ठण प्राप्त किये जाते हैं। विकासशील देशों में आंतरिक त्ठण का एक सीमा होती है। इसलिए आंतरिक वित्तीय साधनों का पूर्ति हेतु वाह्य स्त्रोतों का सहारा लिया जाता है। वाह्य त्ठण के तीन मुख्य स्त्रोत हैं।

(a) अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं से त्ठण (Borrowing from multilateral institutions):-

इसके लिए विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था आदी बहुपक्षीय संस्थाएँ हैं। जिनके द्वारा सदस्य देशों की मुद्रागत अंतुलन की समस्या एवं विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में त्ठण उपलब्ध कराया जाता है।

(b) विदेशी सरकारों से सहायता (Aid from foreign government):-

वाह्य त्ठण के दूसरा प्रमुख स्त्रोत विदेशी सरकारों से सहायता प्राप्त करना है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा आदी विकसित मित्र देशों को उनके आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर त्ठण एवं अनुदान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का त्ठण दीर्घकालीन त्ठण कहलाता है तथा इस पर क्याज का दर भी कम होता है।

यह सहायता दो तरह का होता है।

(1) विशिष्ट प्रयोग के लिए सहायता

(2) स्वतंत्र प्रयोग के लिए सहायता

दूसरे प्रकार की विदेशी सहायता का उपयोगी स्वरूप प्राप्त करने वाला देश अपनी इच्छा से कर सकता है जबकि पहली श्रेणी की सहायता शशि केवल उन्ही परिभाषनाओं पर रवचे की जा सकती है- जिसके लिए यह सहायता ली गई है।

(C) विदेशी व्यावसायिक ऋण (Foreign Commercial Bank):-

विदेशी व्यावसायिक ऋण, विदेशी व्यावसायिक बैंक, विनियोग मिलाय और निजी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है इस तरह का ऋण अल्पकाल के लिए एवं सामान्य व्यावसायिक व्याज दर पर दिया जाता है- इसलिए यह विदेशी ऋण का सबसे महंगा स्रोत है। आमतौर पर इस तरह का ऋण तभी लिया जाता है जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं विदेशी सरकारों से और अधिक ऋण की प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही हो। वाहरी स्रोत से प्राप्त ऋण देश के वित्तीय साधनों में वृद्धि करता है लेकिन इसके अभावगी के समय उसी मात्रा में देश के साधनों का विकास होता है जिससे ऋण का भार बढ़ता है।

इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय भाव का सार्वजनिक ऋण भी एक प्रमुख साधन है उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह मुख्य रूप से दो तरह के साधन अर्थात् आंतरिक तथा वाह्य साधनों से प्राप्त होता है।

ऋण प्राप्त करने का इतिहास प्राचीन है- परन्तु वर्तमान परिवेश में केवल अथवा राज्य सरकार विकासार्थक कार्यों को पूरा करने के लिए उक्त साधनों से ऋण प्राप्त करते हैं-

वास्तव में गण का इतिहास यह बताता है - कि प्रारम्भ में विकसित देशों ने भी गण प्राप्त किये थे अतः एक अर्द्धविकसित देश स्थापक जो समाजवादी समाज की कल्पना तथा आर्थिक संसाधनों के उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गण प्राप्त करती है तो अल्पकाल सर्वज्ञान अर्थव्यवस्था पर अवलंबित होता है। फिर भी गण का उपयोग सीमित तथा उत्पादक कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए।

वि. अ. (2013) (अनुसूची) (अनुसूची) वि. अ. (अनुसूची) (अनुसूची) (2)

किसी लोकसभ के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है।

यदि अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाय तो उसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है।